बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

मार्गदर्शिका

संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 की कंडिका–2(ix) के अनुपालन में आवासीय विद्यालयों के छात्र–छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से किये जाने के लिए भौतिक, पंजी संधारण, लेखा संधारण एवं अनुश्रवण हेतु प्रक्रिया

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आवासियों को पोशाक की आपूर्ति के कार्य हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 निर्गत की गई है। पोशाक की आपूर्ति के उद्देश्य से बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (MoU) किया जायेगा।

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन के माध्यम से पोशाक की आपूर्ति कार्य हेतु संकल्प और समझौता ज्ञापन(MoU) में अंकित बिन्दुओं के कार्यान्वयन के लिये एवं उसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित किए जाते हैः–

2.1. **पोशाक की आपूर्ति की व्यवस्थाः–**

(i) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक अधिप्राप्ति एवं वितरण के लिए आवासीय विद्यालयों से सत्रारंभ में नामांकन के अनुरूप विहित प्रपत्र में "इण्डेन्ट" प्राप्त कर बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) को उपलब्ध कराया जाएगा। **(अनुलग्नक–1A)**

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा पोशाक आपूर्ति से संबंधित इंडेट उपलब्ध कराये जाने के एक सप्ताह के अंदर जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन के प्रतिनिधि संबंधित विद्यालय का भ्रमण कर कक्षावार एवं छात्रवार पोशाक की माप लेंगे एवं इसकी प्रविष्टि विहित प्रपत्र में करेंगे। **(अनुलग्नक–1B)**

(iii) संकल्प के अनुसार निर्धारित दर पर पोशाक आपूर्ति के कुल व्यय के अधिकतम 90 प्रतिशत की राशि जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा संगत वित्तीय वर्ष के प्रथम माह अप्रैल के **15वीं से 20वीं** तिथि तक बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका) द्वारा **चिन्हित खाता में अग्रिम के रूप** में उपलब्ध कराया जाएगा, जो माँग एवं दर के आधार पर होगा।

(iv) प्रत्येक बालक एवं बालिका को 4(चार) सेट पोशाक देय होगा। बालक एवं बालिकाओं के पोशाक का उपयुक्त वस्त्र एवं रंग विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा। **पोशाक में पॉली सूती (Poly-Cotton) कम से कम 65:35 के अनुपात का होगा।** आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पोशाक आपूर्ति से संबंधित पंजी का संधारण किया जाएगा।

(v) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा वस्त्रों की सिलाई एवं आपूर्ति माह **मई की 15वीं से जुलाई की 15वीं** तिथि तक कर लिया जाएगा।

(vi) विहित प्रपत्र में पोशाक की आपूर्ति के लिए विद्यार्थियों वितरण पंजी का संधारण प्राचार्य द्वारा किया जाएगा। आवासीय विद्यालय प्रबंधक द्वारा पोशाक की आपूर्ति से संबधित वितरण पंजी का सत्यापन किया जाएगा।

(विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–2A** के रूप में संलग्न)

(vii) पोशाक के फिटिंग में किसी भी प्रकार की समस्या पाए जाने पर जीविका के द्वारा नामित सामुदायिक संगठन द्वारा उसे बिना किसी अतिरिक्त व्यय भार के ठीक कर विद्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी प्रविष्टि विहित प्रपत्र– **2B** में करते हुए पोशाक की फिटिंग हेतु वापस किया जाएगा, जिसे 15 दिनों में फिटिंग कर वापस किया जाएगा, जिसे विहित प्रपत्र–2C में संधारित किया जाएगा।

(viii) नव नामांकित अथवा छीजन के विरुद्ध नामांकित छात्रों के पोशाक आपूर्ति हेतु जीविका को अलग से इण्डेन्ट उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त के आलोक में छात्र/छात्राओं का माप लेकर जीविका द्वारा नामित सामुदायिक संगठन द्वारा पोशाक की आपूर्ति की जाएगी।

(ix) जीविका द्वारा इंडेण्ट से 2 सेट अतिरिक्त पोशाक की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें से 1 सेट जिला कल्याण कार्यालय तथा अन्य सेट संबंधित विद्यालय में नमूना के रुप में रक्षित कर रखा जाएगा। **नमूना की राशि का भी भुगतान संबंधित जिला द्वारा किया जाएगा।**

2.2. विपत्रों की निकासी एवं लेखा संधारण

(i) जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) पोशाक आपूर्ति के लिए विपत्र प्राप्त कर माह जुलाई के अंतिम दिन जिला कल्याण कार्यालय में समर्पित करेंगे।

(विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–3** के रूप में संलग्न)

(ii) जिला कल्याण पदाधिकारी अगले सात दिनों में जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) से प्राप्त विपत्र का सत्यापन प्राचार्य या प्रधानाध्यापक एवं आवासीय विद्यालय प्रबंधक से करायेंगे **(अनुलग्नक–4)** एवं आवश्यकतानुसार स्वयं भी जाँच करेंगे। तत्पश्चात् जिला कल्याण पदाधिकारी अंतिम रूप से नियमानुसार विपत्र अनुमोदित करेंगे। भुगतान/स्वीकृति हेतु विपत्र की एकरूपता के लिए विहित प्रपत्र **अनुलग्नक–5** के रूप में संलग्न है।

(iii) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा पोशाक आपूर्ति के विपत्रों का समायोजन निम्नवत् करेंगे:–

(a) संगत वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में दिए गए अग्रिम राशि का समायोजन माह **अगस्त की 30वीं** तक डी0सी0 विपत्र के माध्यम से कर लिया जाएगा।

(b) समायोजन के उपरांत जीविका को भुगतेय अवशेष राशि, यदि हो, तो पूर्ण विपत्र (Fully Vouched Bill) के आधार पर विपत्र प्रापत होने के 7(सात) दिनों के अन्दर भुगतान बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के चिन्हित बैंक खाता में करेंगे।

(c) पोशाक आपूर्ति मद में अग्रिम निकासी यदि पोशाक मद में व्यय से अधिक है, उस स्थिति में वास्तविक व्यय से अधिक की राशि जीविका से प्राप्त कर कोषागार चालान के माध्यम से वापस कर लिया जाएगा।

(iv) जिला कल्याण पदाधिकारी पोशाक आपूर्ति के लिए जीविका को भुगतान किए गए विपत्रों से संबंधित अभिलेखों का संधारण विहित प्रपत्र के अनुसार अलग पंजी में करेंगे।

(अनुलग्नक–6)

2.3. **अनुश्रवण की व्यवस्था**

(i) विभागीय पत्रांक–6217 दिनांक– 21.12.23 से गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति द्वारा विहित एवं निर्धारित मानक के अनुरूप पोशाक आपूर्ति का अनुश्रवण करेंगे। जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक माह नियमित रूप से संबंधित के साथ समन्वय(Co-ordination) बैठक की करेंगे।

(ii) संयुक्त जाँच दल द्वारा स्थलीय जाँच/निरीक्षण के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि/कमी पाये जाने पर आवश्यकतानुसार कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। जिला कल्याण पदाधिकारी उक्त अनुशंसा के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

(iii) यथासंभव, निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) द्वारा संयुक्त रूप से जिला कल्याण पदाधिकारी एवं जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) के साथ पोशाक आपूर्ति की समीक्षा की जाएगी।

(iv) बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा उपरोक्त सेवा के लिए **यथाशीघ्र** वास्तविक समय में निगरानी प्रक्रिया (Real Time Monitoring System) विकसित की जाएगी।

(v) जिला कल्याण पदाधिकारी उपरोक्त सेवा के विरूद्ध व्यय की गई राशि की विवरणी विभाग को समर्पित किया जायेगा।

3. प्रथमतः अनुबंध तीन वर्षों के लिए किया जायेगा।

4. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति के द्वारा उपरोक्त सेवा के लिए प्रत्येक जिला में अलग बैंक खाता संधारित किया जाएगा एवं जिला कल्याण पदाधिकारी से संबंधित सेवा के विरूद्ध अग्रिम राशि एवं भुगतेय राशि सुसंगत बैक खाता में हस्तांतरित करने का अनुरोध किया जाएगा।

5. **अन्यः–**

(क) समय–समय पर विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में परिवर्त्तन किया जा सकता है तथा कार्यान्वयन के क्रम में नये निदेश/अनुदेश निर्गत किये जा सकते है।

(ख) समझौता ज्ञापन (M.o.U) एवं मार्गदर्शिका से संबधित कोई कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे या विसंगति कंडिका–2.3(iii) के अधीन समाधान कर ली जाएगी।

21.12.23

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति
बिहार, पटना।

21.12.23

निदेशक,
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति
कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–4 / निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05 / 2021– 6218 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग / सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना / वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.23

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05 / 2021– 6218 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

प्रतिलिपि– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति(जीविका),पटना / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उपविकास आयुक्त, बिहार / सभी प्रमण्डलीय उपनिदेशक कल्याण / सभी जिला कल्याण पदाधिकारी / सभी प्राचार्य / प्रधानाध्यापक आवासीय विद्यालय / सभी जिला परियोजना प्रबंधक(जीविका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.12.23

निदेशक।

ज्ञापांक–4 / निदे0 आ0वि (जीविका)–06–05 / 2021– 6218 **पटना, दिनांक**– 21/12/2023

प्रतिलिपि– सभी विभागीय पदाधिकारी / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 3डी0, 4डी0, 7डी0. तथा 8डी0 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाईठ पर अपलोड करने एवं उक्त सभी को ई0–मेल के माध्यम से सूचित करने के निदेश के साथ प्रेषित।

21.12.23

निदेशक।

अनुलग्नक–1A

पोशाक आपूर्ति हेतु प्रपत्र (Indent)

Refrence No:- Date:-

आवासीय विद्यालय का नाम–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक आपूर्ति की विवरणी –

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं0	पोशाक का माप	कक्षा शिक्षक का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर शिक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–1B

पोशाक आपूर्ति हेतु प्रपत्र (मापी प्रपत्र)

Refrence No:- Date:-

आवासीय विद्यालय का नाम–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक आपूर्ति की विवरणी –

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं0	पोशाक का माप

सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2A

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:-　　　　　　　　　　　　　　　　Date:-

आवासीय विद्यालय का नाम–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक प्राप्ति एवं वितरण की विवरणी –

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं0	छात्र/ छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर　　　　शिक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर　　　　प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2B

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:- Date:-

आवासीय विद्यालय का नाम–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक के फिटिंग में समस्या संबंधित विवरणी –

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं0	पोशाक की फिटिंग में समस्या का प्रकार	छात्र/ छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर   शिक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर   प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक–2C

पोशाक प्राप्ति एवं वितरण हेतु प्रपत्र

Refrence No:- Date:-

आवासीय विद्यालय का नाम–

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा पोशाक फिटिंग के उपरांत वितरण की विवरणी –

क्र0 सं0	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा	पोशाक की सं0	छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर

सामुदायिक संगठन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर

शिक्षक/कर्मी का हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर

अनुलग्नक– 3

भुगतान विपत्र

Refrence No:- Date:-

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय,..........................

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा संचालित पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान हेतु

1. **विद्यालय का नाम–**
2. **जिला का नाम–**
3. **प्रखण्ड का नाम–**
4. **पोशाक आपूर्ति के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नामः–**
5. **माह– वर्ष– में पोशाक प्राप्त करनेवाले कुल विद्यार्थियों की संख्या :–**

(अनुलग्नक–2 संलग्न)

क्र0 सं0	**दिनांक**	**बालक/ बालिका का नाम**	**कक्षा**	**प्रति विद्यार्थी प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)**			**पोशाक का सेट (4)**	**पोशाक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या**	**प्रति विद्यार्थी प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)**	**कुल राशि**
				बालक	बालिका	कुल				

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों/पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम एवं मुहर सहित)

सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) के सचिव	सामुदायिक संगठन (दीदी की रसोई) के अध्यक्ष	प्रखंड परियोजना प्रबंधक (जीविका)	जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका)

अनुलग्नक– 4

भुगतान विपत्र का सत्यापन

Refrence No:- Date:-

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय उच्च विद्यालय,..........................

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन द्वारा संचालित पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान हेतु

1. विद्यालय का नाम–
2. जिला का नाम–
3. प्रखण्ड का नाम–
4. पोशाक आपूर्ति के लिए नामित सामुदायिक संगठन का नामः–
5. माह– वर्ष– में पोशाक प्राप्त करनेवाले कुल विद्यार्थियों की संख्या :–

(अनुलग्नक–2 एवं अनुलग्नक–3 संलग्न)

क्र0 सं0	दिनांक	बालक / बालिका का नाम	कक्षा	प्रति विद्यार्थी प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)			पोशाक का सेट (4)	पोशाक प्राप्त करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या	प्रति विद्यार्थी प्रति पोशाक निर्धारित दर (रूपया)	कुल राशि
				बालक	बालिका	कुल				

(अभिप्रमाणित करनेवाले कर्मियों / पदाधिकारियों का हस्ताक्षर (नाम सहित) एवं मुहर)

प्रमाणित किया जाता है कि आवासीय विद्यालय में पोशाक आपूर्ति के लिए संधारित पंजी से मिलान किया गया, एवं उपरोक्त के आधार पर अनुशंसा की जाती है।

प्रधानाध्यापक विद्यालय प्रबंधक

<u>**अनुलग्नक–5**</u>

<u>**स्वीकृत्यादेश**</u>

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पोशाक आपूर्ति हेतु संकल्प संख्या–4687 दिनांक–13.09.2023 के आलोक में बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के साथ विभाग द्वारा समझौता ज्ञापन (M.o.U) किया गया है, जिसके आलोक में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर +2 आवासीय विद्यालय................, के आवासीत छात्र/छात्राओं को पोशाक आपूर्ति कराने के पश्चात् जिला परियोजना प्रबंधक (जीविका) ने Refrence No:- Date:- द्वारा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन प्राचार्य एवं विद्यालय प्रबंधक से कराया गया है।

2. निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के आवंटनादेश संख्या– ––––––––– दिनांक––––––––––––– द्वारा सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटन प्राप्त है। उक्त आवंटनादेश के विपत्र कोड:– 44–222501277003(21.01) के आवंटन से निम्न प्रकार राशि की निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र0 सं0	विद्यालय का नाम	सामुदायिक संगठन का नाम	विपत्र सं0/तिथि	अभिश्रव की राशि	जी0एस0टी0 @ 2%	आयकर @ 2%	कुल कटौती	शुद्ध भुगतेय राशि	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
कुल योग–									

3. पोशाक आपूर्ति के लिए अधिकृत सामुदायिक संगठन को भुगतान हेतु विपत्र की कुल राशि मो0–........................मात्र बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के खाता सं0........... एवं IFSC Code –––––––––– में भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि– राज्य परियोजना प्रबंधक, बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका)/............ दीदी की रसोई, ... को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–वरीय कोषागार पदाधिकारी.................. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

ज्ञापांक–.......................... दिनांक–

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी

<u>अनुलग्नक–6</u>

जिला में अभिलेख संधारण पंजी

क्रम संख्या	जीविका द्वारा पोशाक आपूर्ति के विपत्र भुगतान का Ref. No- Date:-	जिला कल्याण कार्यालय में विपत्र प्राप्ति की तिथि	विपत्र सत्यापन की तिथि	कोषागार से विपत्र समर्पित करने की तिथि	कोषागार से विपत्र पारित करने की तिथि	विपत्र की राशि	UTR No